

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉo राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक 5, पंचम तल, कमरा नं. 601 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017



तूरभाष नं. 0141-2715532

क्रमांक : रास्कूलिशिप/जय/पूर्व प्राथमिक शिक्षा-एबीएल रूम/2020-21/17560दिनांक 21-12-20

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

> विषय:--भौतिक रूप से समन्वित आंगनवाडी केन्द्र एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में एबीएल रूम विकसित किये जाने के संबंध में।

परिषद् के पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रकोष्ठ का पत्रांक 16867, दिनांक 26.11.2020 संदर्भ :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में अनुमोदन के फलस्वरूप संदर्भित पत्र द्वारा राज्य के जिलेवार चिन्हित भौतिक रूप से समन्वित आंगनवाडी केन्द्र (संख्या – 18,360) एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों (संख्या – 134) में एबीएल रूम विकसित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार 02 प्रकार से कार्यवाही की जानी है :--

(1)ब्लैक बोर्ड पेन्ट एवं ग्रीन्+व्हाइट बोर्ड :-

परिषद् के पत्रांक 9976 दिनांक 04.02.2020 द्वारा निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुसार एवं अन्य अनुवर्ती दिशा–निर्देशानुसार की पालना सुनिश्चित करते हुए आंगनवाडी कक्ष की तीन दीवारों पर फर्श से ढाई फीट की ऊँचाई तक ब्लैक बोर्ड पेण्ट एवं एक दीवार हेतु 2-in-1 Green + White Board क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्य हेतु प्रति आंगनवाडी 2550/- रूपये की दर से उपलब्ध करवाई गई राशि को संबंधित एसडीएमसी / एसएमसी के खाते में अविलम्ब हस्तान्तरित कर सघन मॉनीटरिंग करते हुए जिले में

उक्त कार्य को यथाशीघ्र दिनांक 25.12.2020 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिले की व्यय राशि की सही, अद्यतन एवं प्रामाणिक प्रविष्टि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रबन्ध पोर्टल (पूर्व में PMS) पर नियमानुसार निर्धारित समय – सीमा में अनिवार्यतः दर्ज करवाया जाना स्निश्चित करें।

दिनांक 25.12.2020 तक आपके अधीन समस्त चिन्हित आंगनवाडी केन्द्रों में उक्त कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र एवं व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 02.11.2020 के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार कार्यालय adrutrsmsa@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(2) डिजिटल वॉल पेन्टिंग एवं फ्लैक्स विथ फ्रेम् :--

- जिला कार्यालय को पूर्व में ही उपलब्ध कराई जा चुकी सूची अनुसार चिन्हित भौतिक रूप से समन्वित आंगनवाडी केन्द्रों एवं मॉडल विद्यालयों में डिजिटल वॉल पेण्टिंग एवं पलैक्स विथ फ्रेम के संस्थापन हेतु डीआईपीआर सम्बद्ध फर्मों को शैक्षिक संभागवार कार्यादेश दिये गये है (संलग्न परिशिष्ट-1)।
- फर्म के प्रतिनिधियों / कर्मचारियों से उक्त निर्धारित स्पेसीफिकेशन एवं विषयवस्तु (संलग्न परिशिष्ट-2) के अनुसार उक्त कार्य को सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 3x4 फीट की साइज के 10 शैक्षिक चार्ट आंगनवाडी कक्ष के अन्दर एवं 3x5 फीट आकार का आंगनवाडी सूचना संबंधी पलैक्स विथ फ्रेम कक्ष के बाहर प्रवेश द्वार के पास संस्थापित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इन समरत वॉल पेन्टिंग को संबंधित आंगनवाडी केन्द्रों/मॉडल स्कूलों में निर्धारित पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्ष में ही स्थापित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

- यदि किसी आंगनवाडी केन्द्र के निर्धारित कक्ष की साईज छोटी हो तो इन वॉल पेन्टिंग को संबंधित आंगनवााडी केन्द्रों / मॉडल स्कूलों में निर्धारित वरीयता अनुसार सर्वप्रथम उक्त कक्ष में ही स्थापित किया जायेगा तथा शेष वॉल पेण्टिंग को संबंधित आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं पीईईओ के द्वारा बताये गये रथान पर उक्त कक्ष के पास ही बाहर या बरामदे में रथापित किया जा सकेगा। उक्त चार्ट आंगनवाडी कक्ष से दूरी पर स्थित अन्य किसी कक्ष अथवा बरामदे में संस्थापित नहीं किये जाने हैं, इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जावे।
- इन वॉल पेन्टिंग को कक्ष के फर्श से 4 फीट की ऊँचाई से ऊर्ध्वांकार (Vertical) रूप में लगाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि इनकी ऊँचाई 8 फीट तक होकर सुरक्षा देख-रेख पूर्व उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।

- 2.7 यदि आंगनवाडी कक्ष की दीवार का प्लास्टर क्षितग्रस्त हो, तो उसकी मरम्मत (एसडीएमसी द्वारा) अविलम्ब करा ली जावे, तािक उक्त दीवारों पर डिजिटल वॉल पेण्टिंग का कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जा सके।
- 2.8 यदि पूर्व में आंगनवाडी केन्द्र की दीवारों पर कोई पेण्टिंग की गई है एवं पेण्टिंग अच्छी क्वालिटी की हो तो आंगनवाडी केन्द्र के बरामदे की दीवार पर अथवा समीपस्थ कक्ष में पेण्टिंग करवाना सुनिश्चित करें। यदि पेण्टिंग पुरानी एवं अनुपयोगी हो तो, उसकी पुताई पूर्व में ही करवाकर (एसडीएमसी द्वारा) डिजिटल वॉल पेण्टिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें।

2.9 विद्यालय प्रशासन द्वारा फर्म के कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करते हुए उक्त कार्य को गुणवत्तापूर्वक एवं सही स्थान पर संस्थापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

2.10 विद्यालय समय के उपरान्त भी उक्त कार्य के सम्पादन की स्थिति में विद्यालय प्रशासन आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं मेन्टॉर टीचर अथवा अन्य किसी शिक्षक को आंगनवाडी केन्द्र खुला रखने हेतु निर्देशित करते हुए संस्था प्रधान स्वयं की देखरेख में उक्त कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

2.11 पीईईओं/सीआरसीएफ एबीएल रूम विकास कार्य के गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण — पत्र संलग्न फॉर्मेंट में संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर एक कॉपी फर्म के प्रतिनिधि को कार्य पूर्ण होते ही उसी दिवस प्रदान करेंगे एवं एक प्रति सीबीईओ को उसी दिवस अथवा आगामी दिवस को ही अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे।

2.12 सीबीईओ अपने अधीनस्थ समस्त भौतिक रूप से समन्वित आंगनवाडी केन्द्रों के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ संबंधित पीईईओ/सीआरसीएफ से प्राप्त कर अपने कार्यालय में रिकॉर्ड संधारित करेंगे एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना अविलम्ब जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत करेंगे।

2.13 जिला परियोजना समन्वयक अपने अधीनस्थ समस्त ब्लॉक से कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सम्पूर्ण समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में राज्य परियोजना कार्यालय को निर्धारित समय में प्रस्तुत करेंगे।

2.14 ऑंगनवाडी केन्द्रों में विकसित किये गये एबीएल रूम के निरीक्षण के लक्ष्य जिला/ब्लॉक/पीईईओ/सीआरसीएफ स्तरीय अधिकारियों के लिए निम्नानुसार हैं —

क्र.सं.	अधिकारी	एबीएल रूम निरीक्षण/अवलोकन का लक्ष्य
1	CDEO	जिले के न्यूनतम 05 आंगनवाडी केन्द्र
2	ADPC	जिले के न्यूनतम 08 आंगनवाडी केन्द्र
3	CBEO	ब्लॉक के न्यूनतम ०५ आंगनवाडी केन्द्र
4	APC	जिले के न्यूनतम 10 आंगनवाडी केन्द्र
5	ACBEO- I, II	ब्लॉक के न्यूनतम 10 आंगनवाडी केन्द्र
6	PO	जिले के न्यूनतम 12 आंगनवाडी केन्द्र
7	RP	ब्लॉक के न्यूनतम 12 आंगनवाडी केन्द्र
8	PEEO/CRCF	अधीनस्थ समस्त आंगनवाडी केन्द्र जहाँ एबीएल रूम विकसित किये गये हैं।

उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

(एम. आर. बागडिया) अति. राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

- 1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
- 2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्कुलिशप, जयपुर।
- 4. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, जयपुर।
- 5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निर्देशक-प्रथम, राजस्कुलशिप, जयपुर।
- 6. उपायुक्त-प्रथम, राजस्कुलशिप, जयपुर
- अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समस्त ब्लॉक।
- 9. पीईईओ / सीआरसीएफ, समस्त।
- 10. संबंधित संस्थाप्रधान
- 11. संबंधित फर्म
- 12. रक्षित पत्रावली।

चपार्वित-प्रथम

डीआइपीआर द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन								
Digital Wall Painting of items below (As per detailed speicfication)								
1	English alphabet (with pictures) size 4ftx3ft. : total size – 12 square ft.							
2	Hindi alphabet (with pictures) size 4ftx3ft. : total size 12 square ft.							
3	Geometry figures /triangle square, circle etc. (with pictures)							
	National emblem/flag/animal/bird etc. (with pictures) (size 4ft x3ft. : to							
	size 12 square ft.)							
4	Counting 1-10 (with pictures) size 4ft. X 3ft.: total size 12 square ft.							
5	Counting (1-100) size 4ft. X3ft.: total size – 12 square ft. Body parts (with picutres) size 4ft. X3ft.: total size – 12 square ft.							
6								
7	Mode of transportation – vehicles' name (with pictures)							
8	Fruits Name (with pictures) size 4ft. x 3ft. : Total size – 12 Square ft. Vegetable Name (With picutures) size 4ft.x 3ft. : Total size – 12 Square ft.							
9								
10	Domestic/wild Animals Name (With picutures) size 4ft.x3ft.: Total size –							
	12 Square ft.							

1. Digital Wall Painting:

Specifications:

Providing and fixing of digital wall paintings of given design, size and as per specifications given in Section III. Specifications and Conditions, of the Bidding document in rural and urban areas of Rajasthan:- Per Square Foot

Covering with appropriate oil paint the digital wall paintings mentioned at S.No. I above when ordered. So as to match with the original colour of the wall:- Per Square Foot

Section III: DIGITAL WALL PAINTING

- 1. Four colour solvent printing of the given creatives shall be done on acrylic polymer printable file of 70 to 90 micron which shall be water resistant and when fixed on a smooth or rough, even or uneven wall should appear as smooth and inseparable and irremovable part of the wall.
- 2.Minimum 4 Pass four colour printing shall be done on the film with solvent which does not fade in sun light.
- 3. Fixing of the film on the wall must be done by a water based release liner.
- 4.The digital wall painting must be able to sustain the changes in weather which includes humidity, rains, winds, extreme temperatures etc. Of Rajasthan.
- 5. The service provider shall not sublet any part of the Services to any other agency.

Front Lit Flex with frame (Size 5ft. X3ft.: total size – 15 square ft.)


(Solvent printings of 4 pass frame of i" square ms pipe of 2.0 kg lengths of 20 ft, installation with gi wire on top and bottom flex of 280 gsm black back)

आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम.....

समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान


स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान






ग्राम पंचायत / वार्ड	:	•••••	आंगनबाड़ी सर्वे क्षेत्र की कुल जनसंख्या	:	•••••
केन्द्र का कोड	:	***************************************	पीईईओ ⁄सीआरसी विद्यालय का नाम	:	***************************************
केन्द्र खुलने का समय	:		पीईईओ ⁄सीआरसीएफ का नाम	:	***************************************
(1) शीतकालीन	:	•••••	पीईईओ ⁄सीआरसीएफ का मो. नं.	:	***************************************
(2) ग्रीष्म कालीन	:		मेन्टॉर टीचर का नाम	:	***************************************
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम	:	•••••	मेन्टॉर टीचर का मो. नं.	:	***************************************
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मो. नं.	:		कुल नामांकन	:	***************************************
आंगनबाड़ी सहायिका का नाम, मो.	नं.ः	<u> </u>	नामांकित बालकों की सं.	:	***************************************
आशा सहयोगिनी का नाम, मो. नं.	:	TISIDE	नामांकित बालिकाओं की सं.	:	***************************************
सीडीपीओ का नाम	:		दैनिक उपस्थिति विवरण		दिनांक
सीडीपीओ का मो. नं.	:	•••••		•	ाद्नाक
			उपस्थित बालक	•	***************************************
मातृ एवं शिशु पोषण दिवस (MCHN		उपस्थित बालिका	:	••••	
अभिभावक कार्यकर्ता बैठक (PAM)	नांक :				
	,		कुल उपस्थिति	•	•••••


समग्र शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् , जयपुर













पालतू जानवर Domestic Animals



जंगली जानवर

Wild Animals



सञ्जियों के नाम Vegetable Names



शरीर के अंगों के नाम (Name of Body Parts) FOREHEAD सिर HEAD HAIR बाल **EYEBROW** कान EAR भौंह YE आँख होट LIP कंधा NOSE **SHOULDER** NECK नाक छाती CHEST TEETH दाँत MOUTH मुँह गर्दन भुजा ARM ARMPIT कोहनी पेट काँख CHIN ठोड़ी **ELBQW** STOMACH **BACK** पीट NAVEL PALM नाभि हथेली हाथ HAND टांग LEG अगुली FINGER THUMB कूल्हे BUTTOCKS अंगूठा KNEE घुटना पैर का अंगूठा - TOE HEEL एड्डी FOOT पैर

फलों के नाम **Fruit Names** सेब आम संतरा अनार Apple Mango Orange Pomegranate मौसमी अंगूर पपीता अमरूद Grapes Guava Papaya **Sweet Lemon** चीकू केला तरबूज़ खुबानी Watermelon Chiku **Banana Apricot** कीवी सीताफल खरबूजा अनन्नास Pineapple **Custard Apple** Kiwi Muskmelon चैरी स्ट्रॉबेरी नारियल नाशपाती Cherry Strawberry Pear Coconut लीची आडू आलू बुखारा जामुन Litchi **Peach** Plum Blackplum

